



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ०प्र०(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: coe@suksn.edu.in

पत्रांक—5582/सि०वि०वि०/प०नि०का०/2026

दिनांक 05-05-2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय—उ०प्र० बी०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत (Internship) प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र सं० 1/1314173/2026/सत्तर-7-2026 दिनांक 30-04-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 (NCTE Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2014) की धारा 4.1(III) School Internship) में द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल इंटरशिप (Internship) की कुल अवधि 20 सप्ताह (प्रथम वर्ष में 04 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह) का प्रशिक्षण (Internship) अनिवार्यरूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराये जाये। यदि निकट में कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध न हो तो वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय में इन्टरशिप करायी जाय। जनपद के ऐसे सभी बी०टी०सी० कालेज अपने छात्र-छात्राओं की सूची समय से जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध कराते हुए (NCTE Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2014 के बिन्दु सं०4.2(b) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण (Internship) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराये जाने हेतु अपने सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता शिक्षक—शिक्षा संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर व श्रावस्ती।
3. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि०वि०वि०क०,सि०
5. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय व सम्बन्धित महाविद्यालयों के लॉगिन आई०डी० पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

परीक्षा नियंत्रक